सुख्या-41/2022/714/26-3-2022-1514/2016टी0सी0-।।

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 अप्रैल 2022

विषयः- मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर निःशुल्क साक्षात प्रशिक्षण/आनलाइन प्रशिक्षण/सलाह प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1390/स0क0/विकास/मु0अभ्यु0यो0/2021-22,दिनांक-16.03.2022 एवं पत्र संख्या-18/स0क0/विकास/मु0अभ्यु0यो0/2022-23, दिनांक-07.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य मंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मुख्य मंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-16/2021/509/26-3-2021-1514/2016,दिनांक-06.02.2021 के क्रम में विस्तार करते हुये शासनादेश संख्या-150/2021/3424/26-3-2021-1514/2016 टी0सी0-।। दिनांक-17.12.2021 द्वारा उक्त योजना का विस्तार प्रदेश के समस्त जनपदों में किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना को जनपद स्तर पर संचालित किये जाने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों की सहायता के लिये जिला स्तर पर वर्चुअल एवं साक्षात कक्षाओं का आयोजन किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति/टास्क फोर्स गठित होगी, जो राज्य सरकार के अधिकारियों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा एक पूर्णकालिक शिक्षक/समन्वय की सहायता से कक्षाओं का रोस्टर तैयार करेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मार्ग-दर्शन एवं प्रशिक्षण समिति का गठन किया जायेगा तथा जिसमें जिले स्तर पर कार्यरत अधिकारी सम्मिलित होंगे। समिति के गठन का स्वरूप निम्नवत् हैः-

1-जिलाधिकारी-	अध्यक्ष।
2-मुख्य विकास अधिकारी-	उपाध्यक्ष।
3-जिला विद्यालय निरीक्षक-	सदस्य।
4-जिला विकास अधिकारी-	सदस्य।
5-प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान-	सदस्य।
6-मुख्य चिकित्साधिकारी-	सदस्य।
7-बेसिक शिक्षा अधिकारी-	सदस्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

8-जिला समाज कल्याण अधिकारी- सदस्य सचिव।
9-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी- सदस्य।
10-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी- सदस्य।
11-जिला पंचायती राज अधिकारी- सदस्य।
12-जिला खाद्य एवं वितरण अधिकारी- सदस्य।
13-उपजिलाधिकारी- सदस्य।
14-कोर्स-को-आर्डिनेटर- सदस्य।
15-जिलाधिकारी द्वारा नामित गैर सरकारी व्यक्ति- सदस्य।

4- प्रत्येक जनपद में एक कोर्स को-आर्डिनेटर, एक कम्प्यूटर आपरेटर एवं एक मल्टीटास्क स्टाफ आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जा सकेगे, जिस हेतु समुचित बजट समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। कक्षाओं के प्रबन्ध के लिये मशीनरी/किरायें पर वाहन इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय समिति को समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले बजट से की जायेगी। प्रत्येक सत्र में जिला स्तरीय समिति की कम से कम 05 बैठकें आयोजित की जायेगी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय-समय पर अनुश्रवण भी किया जायेगा।

5- प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्यापन कार्य हेतु योग्य, अनुभवी एवं प्रोफेशनल व्याख्याताओं की सेवाओं अतिथि व्याख्याताओं के रूप में ली जायेगी। योग्य/अनुभवी व्याख्याताओं को जिला स्तर पर चयन समिति की अनुशंसा से परीक्षण व्याख्यान/ट्रायल लेक्चर के उपरान्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में जिला स्तरीय समिति द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा। इस हेतु मार्गदर्शन का कार्य उपाम द्वारा किया जायेगा। व्याख्यान के लिए आमंत्रित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों/वार्ताकारों/व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान दर रू0-2000/-कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक-03.09.2014 के अनुरूप तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत मानदेय का भुगतान किया जायेगा। एक व्याख्यान की अवधि 90 मिनट होगी। एक अतिथि प्रवक्ता को प्रतिमाह अधिकतम तीस व्याख्यान अनुमन्य होगें।

6- मेधावी छात्रों के चयन में संशोधन करते हुये प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं की अर्हता निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः-

(।)-जे0ई0ई0/नीट हेतु कक्षा-11 व 12 में अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र पात्र होगें।

(।।)-सिविल सेवा/पी0सी0एस0 की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु स्नातक अन्तिम वर्ष के छात्र अथवा स्नातक उत्तीर्ण छात्र अर्ह होगे।

(।।।)-एन0डी0ए0/सी0डी0एस0/क्लैट/बैकिंग/उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/टी0जी0टी0/पी0जी0टी0 आदि परीक्षाओं की शैक्षिक अर्हताएं भी सम्बन्धित प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप होगी।

7- प्रत्येक वर्ष में एक बार उपाम द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार सम्बन्धित कोर्स हेतु अभ्यर्थियों की आवश्यकतानुसार एक पात्रता परीक्षा/चयन प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी। उपाम द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में सम्बन्धित पाठ्यक्रम में छात्र उपलब्ध न होने अथवा जिन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा राज्य स्तर से आयोजित नही की गयी है, उन पाठयक्रमों की आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से समिति गठित कर छात्रों का चयन कर सकते हैं।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सं0-41/2022/714(1)/26-3-2022-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
4-अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
5-महानिदेशक, उपाम उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
8-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
9-अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/तकनीकी/कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक/बेसिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10-श्री रंजन कुमार मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
11-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
12-प्रधान वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
13-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
14-श्रीमती लक्ष्मी सिंह, पुलिस महनिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र।
15-निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनजाति विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगज सशक्तिकरण, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
16-निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान लखनऊ।
17-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
18-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
19-समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
20-संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, समाज कल्याण विभाग।
21-गार्ड फाइल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।